न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 40 / 2015

पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 हरिराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी धमोरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
2 मोहनी देवी पत्नी हरिराम जाति जाट निवासी धमोरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
3 गजराज सिंह पुत्र सुजानसिंह जाति रावत निवासी ढ़ाणी रावों की तन धोलाखेड़ा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1 शीशराम पुत्र हीराराम उर्फ हरिराम जाति जाट निवासी धमोरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
2 तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

रेस्पोंडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुंझुनूं)

अपील अ0 धारा 225 राज0 काश्तकारी अधि.
बखिलाफ आदेश उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी
प्रार्थना पत्र नम्बर 37/2013 शीशराम बनाम
हरिराम वगैरह अ.धारा 212 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम दिनांक 14.03.2015।

उपस्थित

1. श्री मदन सिंह गील अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री यतीश अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः—08.10.2018

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 37/2013 में पारित निर्णय दिनांक 14.03.2015 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी रेस्पोडेंट ने अपीलांट के विरूद्व विचारण न्यायालय में खसरा नम्बर 1061,279,280

ग्राम धमोरा मौखिक विभाजन से स्वयं के हिस्से में आने का कथन कर मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का अनुतोष चाहा है। विचारण न्यायालय ने अप्रार्थीगण का जवाब प्राप्त कर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में सभी सहखातेदारों को पक्षकार बनाये बिना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जो चलने योग्य नही है विधि अनुसार सहखातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है विचारण न्यायालय का निर्णय मनमर्जी का है विचारण न्यायालय ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों को दरकिनार कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। जो निरस्त किये जाने योग्य है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 279,280 वाके ग्राम धमोरा शिशराम पुत्र हरिराम 1/4, गजराज सिंह पुत्र सुगनसिंह 1/4, महिपाल, श्रीराम, सुभाष, राजेन्द्र 1/2, खसरा नम्बर 1061 शिशराम 1/2 हिस्सा, गजराज सिंह 1/2 हिस्सा संयुक्त खातेदारी काश्तकारी की जमीन है विचारण न्यायालय ने सहखातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया है जबकि सहखातेदारी में किसी एक पक्षकार के पक्ष में दुसरे सहखातेदार को पाबंद किया जाना विधि सम्मत नही है। केवल मात्र अनावश्यक मुकदमेबाजी व विवाद का हवाला देकर अस्थाई निषेधाज्ञा पारित करना विधि विरूद्व है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 08.10.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर